

न्यायाधीश रविमलमिथ

चर्चा में क्यों?

17 सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्तरविमलमिथ का स्थानांतरण कर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सफारिश की है।

प्रमुख बंदि

- सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 8 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य कई न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सफारिश की है।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश **मोहम्मद रफीक** को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
- इससे पूर्व न्यायमूर्तरविमलमिथ 28 जुलाई, 2020 से 6 जनवरी, 2021 तक उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके उपरान्त वहाँ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे।
- 25 मई, 1962 को जन्में न्यायमूर्तरविमलमिथ ने 28 जनवरी, 1987 से अधिवक्ता के रूप में कर्नाटक हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में सविलि, आपराधिक, संवैधानिक, शर्म, कंपनी, सेवा मामलों आदि में 20 वर्षों तक प्रैक्टिस की। इन्हें संवैधान वशिषज्ञ माना जाता है।
- ये 18 फरवरी, 2008 को कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं 17 फरवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे।
- ये 24 मई, 2024 को सेवानवृत्त होंगे।